उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(जैवविविधता अधिनियम, 2002, भारत सरकार, के अन्तर्गत गठित स्वायत्त, संवैधानिक/नियामक संस्था)

पत्रांक: 464 / A-11 (28-1) दिनांक: 16 – 03 – 2017

वैधानिक सूचना

जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014" के प्राविधानों के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर आर्थिक मदद करना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैव संसाधन (Biological Resource) के वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Utilization) करने वाले व्यक्ति/संस्था/उद्योगों द्वारा अर्जित लाभांश को "जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014" के प्राविधानों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 07, 24, 53 तथा जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप–1 व विनियम, 2014 के प्ररूप–'क' में रू0 10000/– फीस (सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के पक्ष में, लखनऊ में देय बैंक ड्राफ्ट) के साथ सचिव, उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजा जाना अनिवार्य है। यह सूचना उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के ईमेलः upstatebiodiversityboard@gmail.com के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। फीस की धनराशि बोर्ड के पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता (SB) संख्या–6193000100001887 तथा IFSC Code-PUNB0619300 में आर. टी.जी.एस. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है, जिसका विवरण ईमेल में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

तत्पश्चात् अधिनियम, 2002 की धारा 53 तथा विनियम, 2014 के संख्या 2, 3, 4 आदि के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुबंध के माध्यम से लाभांश उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड के द्वारा पारित आदेश के कम में बोर्ड के खाते में जमा करना होगा। इस लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैवविविधता प्रबंध समिति/कृषकों के मध्य वितरित कर उनकी आर्थिक मदद की जायेगी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अनुपालन हेतु मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. 347/2016 चन्द्रभाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य भी दाखिल है, जिसकी सुनवाई प्रचलित है।

"जैव संसाधन" (Biological Resource) : "जैव संसाधनों" से पौधे, जीव–जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवांशिक पदार्थ नहीं है ;

"biological resources" means plants, animals and micro-organisms or parts thereof, their genetic material and by-products (excluding value added products) with actual or potential use or value, but does not include human genetic material;

Our Vision: Conservation beyond Imagination
पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010
फोन नं0: 0522. 2306491, 4006746, फैक्स नं0: 0522.4006746,
E-mail : upstatebiodiversityboard@gmail.com, Website: http://www.upsbdb.org

Hemant

''वाणिज्यिक उपयोग'' (Commercial Utilization) : ''वाणिज्यिक उपयोग'' से वाणिज्य उपयोग के लिए जैसे आनुवंशिक व्यवधान के माध्यम से फसल और पशुधन में सुधार करने के लिए प्रयुक्त औषधि, औद्योगिक किण्वक, खाद्य सुगंध, सुवास, प्रसाधन, पायसीकारक, तैलराल, रंग, सत्त और जीन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का अंतिम उपयोग अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारंपरिक प्रजनन या परंपरागत पद्धतियां नहीं हैं ;

"commercial utilization" means end uses of biological resources for commercial utilization such as drugs, industrial enzymes, food flavours, fragrance, cosmetics, emulsifiers, oleoresins, colours, extracts and genes used for improving crops and livestock through genetic intervention, but does not include conventional breeding or traditional practices in use in any agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry or bee keeping;

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के तहत् शस्ति–

- धारा 53– इस धारा के अन्तर्गत बोर्ड के आदेश के उल्लघंन के फलस्वरूप अन्य विधिक कार्यवाही के साथ–साथ सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय भी किये जाने का प्राविधान है।
- धारा 55–धारा 7 का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक कारावास अथवा पॉच लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों।
- धारा 56– जैव विविधता बोर्ड के निर्देश/आदेश का पालन नहीं करने पर रू0 2 लाख तक प्रतिदिन के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है, जो कि उल्लघंन होने तक किया जा सकता है।
- धारा 57 (1) –किसी कंपनी/संस्थान के द्वारा उल्लंघन किये जाने पर कंपनी एवं उसके सभी संचालक/भारसाधक अधिकारी उल्लंघन के लिए दोषी समझे जायेगें और तद्नुसार वे सभी उपर्युक्त अपराध के लिए दण्डित किये जा सकते हैं।
- **विस्तृत जानकारी वेबसाईट** http://www.upsbdb.org/ **पर उपलब्ध है।**
- अतः समस्त सबंधित को यह निर्देश दिया जाता है कि अधिनियम/नियम/विनियम का अनुपालन इस प्रकाशन के 30 दिन के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये अन्यथा बाध्य होकर अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- लाभांश का 95 प्रतिशत भाग जैव विविधता प्रबंध समिति/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रदेश के जन सामान्य से यह अनुरोध है कि आपकी जानकारी में कहीं जैव संसाधन आधारित उद्योग कार्यरत् हों तो विवरण सहित इस कार्यालय को अवगत करायें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

(पवन कुमार)
सचिव,
उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड, लखनऊ

Our Vision: Conservation beyond Imagination

पूर्वी विंग, तृतीय तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226 010

फोन नं0: 0522. 2306491, 4006746, फैक्स नं0: 0522.4006746,

E-mail : upstatebiodiversityboard@gmail.com, Website: http://www.upsbdb.org

Hemant